



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011
दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक/नि.वि.1/स.4/सं.ले.श्रे.प./का.आ./241

दिनांक 06.01.2023

कार्यालय आदेश

विषय:- संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा मार्च 2023 ।

प्रधान महालेखाकार (ले/ह)-प्रथम, म.प्र. के आदेश दिनांक 4.01.2023 के अनुसार संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा माह मार्च 2023 का परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

स.क्र.	दिनांक दिन तथा समय	प्रश्नपत्र	विषय
1	20.3.2023, सोमवार, प्रातः 10.30 बजे से 1.30 बजे तक	प्रथम	निबंध संक्षेपिका तथा प्रारूप व्याकरण
2	21.3.2023, मंगलवार, प्रातः 10.30 बजे से 12.30 बजे तक	द्वितीय	प्रारंभिक लेखाकर्म
3	22.3.2023, बुधवार, प्रातः 10.30 बजे से 12.30 बजे तक	तृतीय	लोक निर्माण कार्य लेखा ओर प्रणाली (प्रायोगिक)
4	23.3.2023, गुरुवार, प्रातः 10.30 बजे से 12.30 बजे तक	चतुर्थ	लोक निर्माण कार्य लेखा एवं प्रणाली (सैद्धान्तिक)
5	24.3.2023, शुक्रवार, प्रातः 10.30 बजे से 12.30 बजे तक	पंचम	सामान्य लेखा कोषालय एवं वित्तीय नियम (केन्द्र एवं राज्य दोनों)

परीक्षा स्थल:- मनोरंजन संस्था कक्ष (भूतल) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)-1, म.प्र. 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल ।

परीक्षा में बैठने की पात्रता के संबंध में अभ्यर्थियों का ध्यान सी.पी.डब्ल्यू.ए. कोड के परिशिष्ट-1 के अनुलघ्नक 3 और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एम.एस.ओ.(प्रशासन) भाग-1 में समाविष्ट संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा के नियमों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

परीक्षार्थियों को किसी भी कारण से परीक्षा में अभ्यर्थिता आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने पर उनका यह अवसर गणना में लिया जायेगा।

इस विषयक एम.एस.ओ. प्रशासन भाग-1 में दिये गये आदेश इन प्रकरणों में यथावत लागू होंगे।

संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 10.02.2023 निर्धारित की गई है। परीक्षार्थी, संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा पाठ्यक्रम अनुलग्नक (क) अपने पास रखें तथा अनुलग्नक (ख) में आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 10.02.2023 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रथम प्रश्नपत्र- निबंध संक्षेपिका तथा प्रारूप व्याकरण descriptive mode में होगा, जिसकी समयावधि 3 घंटे होगी तथा अन्य प्रश्न पत्र MCQ pattern पर होंगे, जिनकी समयावधि 2 घंटे की होगी।



वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

दिनांक 6.01.2023

क्रमांक/नि.वि.1/सं.ले.श्रे.प./ D-1878

प्रतिलिपि-

1. सचिव/प्रधान महालेखाकार (ले/ह)-प्रथम, म.प्र.कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले/ह)-प्रथम, म.प्र.लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)।
2. उप महालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले/ह)-प्रथम, म.प्र., लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.)।
3. श्री/कु..... परि.संभागीय लेखापाल, (पात्र परि.संभागीय लेखापालों की सूची संलग्न) कार्यालय कार्यपालन यंत्री
4. कार्यपालन यंत्री.....
5. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग (स्थानीय), कृपया परीक्षा में प्रयुक्त होने वाली स्टेशनरी/सामग्री की समुचित व्यवस्था करवायें।
6. सहायक लेखा अधिकारी /सामान्य अनुभाग 12 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा हाल में टेबल, कुर्सी पर्याप्त रोशनी, पीने का पानी व सफाई की करवायें।
7. गोपनीय सहायक/ वरिष्ठ उप महालेखाकार (नि.ले.)
8. कार्यालय आदेश नस्ती।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

अनुलग्नक (ख)

संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा मार्च 2023 में सम्मिलित होने के लिए "आवेदन-पत्र"

1. परीक्षार्थी का नाम :
2. पद :
3. वर्तमान पूर्ण पता (पिन कोड सहित) :
4. अनुसूचित जाति/जनजाति का उल्लेख :
5. जन्मतिथि :
6. (अ) परि.सं.ले. पद पर नियुक्ति दिनांक :
(ब) परि.सं.ले. पद पर दिनांक 1.3.2023

को पूर्ण की गई सेवा अवधि :

7. संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा संबंधी पूर्ण विवरण:-

क्रमांक	सामान्य परीक्षा का माह/वर्ष	अनुक्रमांक	अवसर क्रमांक	प्रश्न पत्र क्रमांक जिसमें छूट प्राप्त हुई है
1	2	3	4	5

8. अभ्यर्थी का सेवाकालीन विवरण:-

पदस्थापना का स्थान	पदस्थ रहे दिनांक से	दिनांक तक	सेवाकाल का विवरण		
			वर्ष	माह	दिन

9. परीक्षार्थी जिस माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) में उत्तर लिखना चाहते हैं, वे विवरण स्पष्ट करें।

क्रमांक	प्रश्न पत्र	परीक्षार्थी द्वारा चयनित माध्यम
1	निबंध संक्षेपिका तथा प्रारूप व्याकरण	
2	प्रारंभिक लेखाकर्म	
3	लोक निर्माण कार्य लेखा ओर प्रणाली (प्रायोगिक)	
4	लोक निर्माण कार्य लेखा एवं प्रणाली (सैद्धांतिक)	
5	सामान्य लेखा कोषालय एवं वित्तीय नियम (केन्द्र एवं राज्य दोनों)	

मैं विश्वासपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर दी गई जानकारी पूर्ण सत्य है।

दिनांक:

स्थान:


आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का आवेदन पत्र अंग्रेषित है।

कार्यपालन यंत्री

संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा मार्च 2023 का पाठ्यक्रम

1. अभ्यार्थी संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (द्वितीय संस्करण) 1965 के परिशिष्ट के अनुबंध-3 में समाविष्ट नियम का अवलोकन करें।
2. द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात् प्रारंभिक लेखाकर्म (Elementary Book Keeping) का स्वरूप प्रारंभिक प्रकृति का होगा। श्री जे.आर. बाटलीबाय द्वारा लिखित एडवांस एकाउटेंसी के 23वें संस्करण के अध्याय क्र.1,2,3,4,14 एवं 24 यह पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये गये हैं। यदि पुस्तक के अनुवर्तीय संस्करणों में इन अध्यायों के क्रमांक बदल दिये गये हों तो अभ्यार्थियों को अनुवर्तीय संस्करणों के उन्हीं अध्यायों को पढ़ना चाहिए जिन अध्यायों में उपर्युक्त अध्यायों के विषय दिये गये हों।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक के पत्र क्रमांक 3227-एन.3/2-85 दिनांक 12.8.89 के अनुसार परीक्षार्थी " प्रारंभिक लेखाकर्म " प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी माध्यम से भी दे सकते हैं।
4. तृतीय प्रश्न पत्र (1) प्रारंभिक लेखे, स्टॉक लेखा टी.एण्ड पी. लेखा कान्ट्रेक्टर बिल तथा अन्य बिलों एवं व्हाउचर्स का बनाना एवं जांच (2) संभागीय लेखों का वर्गीकरण एवं संकलन (3) राज्य सरकार की वित्तीय शक्तियों के डेलीगेशन नियम के बारे में है।
5. चतुर्थ प्रश्न पत्र " लोक निर्माण कार्य और प्रणाली " के संबंध में अभ्यार्थी का ध्यान इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक नि.वि.1/डी.टी.ई./1327 दिनांक 18.1.75 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशानुसार " लोक निर्माण कार्य और प्रणाली " के मौखिक प्रश्न पत्र को हटाकर उसके स्थान पर सैद्धांतिक (Theory) का प्रश्न पत्र रखा गया है।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

पात्र परि.संभागीय लेखापालों की सूची

स.क्र.	परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल का नाम
1	श्री अमन कुमार जैन
2	श्री पंकज साहू
3	श्री मनीष कुमार मीना
4	श्री शंकुल
5	अबध किशोर मंडल
6	राघवेन्द्र सिंह
7	कु अंजलि.
8	प्रधान नागर
9	दीपक बालान
10	राकेश कुमार
11	प्रशांत सिंह कुशवाह
12	रणजीत सिंह